

रिश्वत लेने के आरोपी इनकम टैक्स के दो अधिकारियों को चार-चार साल की सजा

पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और पूर्व आईटीओ शैलेंद्र भंडारी को सीबीआई ने मार्च 2015 में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा था

जोधपुर, (कासं)। सीबीआई मामलात की अदालत ने पंद्रह लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में इनकम टैक्स विभाग के पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और पूर्व आईटीओ शैलेंद्र भंडारी को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज भूपेंद्र सनाढ्य ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। वहीं बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले ज्वेलर को बरी कर दिया।

जानकारी के अनुसार मामला 31 मार्च 2015 का है। बाड़मेर के व्यापारी की शिकायत के बाद पवन कुमार शर्मा, शैलेंद्र भंडारी और ज्वेलर चंद्रप्रकाश कट्टा को गिरफ्तार किया गया था। बाड़मेर के व्यापारी किशोर जैन ने सीबीआई को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि आयकर विभाग ने उसकी टैक्स देनदारी को मूल 2.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12 करोड़

- सीबीआई मामलात की अदालत ने 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया**

- सीबीआई मामलात की अदालत ने बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले ज्वेलर को बरी किया**

रुपए कर दिया था। इस मामले को निपटाने के लिए विभाग के अधिकारियों ने शुरुआत में 25 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बाद में बातचीत के बाद 23 लाख रुपए तय हुई। किशोर जैन की शिकायत के बाद सीबीआई ने ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई। तब 31 मार्च 2015 को जौहरी चंद्रप्रकाश कट्टा के शोरूम पर शैलेंद्र भंडारी को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ा गया। यह रकम मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा की तरफ से ली जा रही थी। इस ऑपरेशन में सीबीआई ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की

जांच में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पवन कुमार शर्मा के पास जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बैंगलुरु में कुल 400 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का पता चला। इनमें बंगले और फार्म हाउस शामिल थे। इन्हें लज्जरी फर्नीचर और बेशकीमती सामान से सजाया गया था, जिनकी कीमत भी करोड़ों रुपए में थी। बंगलों के हर कमरे में 18–18 हजार रुपए के डिजाइनर पंखे लगे थे। पवन कुमार को चाँदी के कप में चाय पीने और सोने के चम्मच का इस्तेमाल करने का शौक था। उसके घर से 50 बोटल महंगी विदेशी शराब भी बरामद हुई थी। सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत

मामला दर्ज किया था। आरोप था कि विभाग के अफसरों ने किशोर जैन से उसकी कंपनी के वर्ष 2012–13 के आयकर असेसमेंट को सुलझाने के लिए 23 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

गौरतलब है कि व्यापारी किशोर जैन के यहां बाड़मेर के असिस्टेंट कमिश्नर ने आयकर सर्वे कराया था। गलत ढंग से पांच करोड़ रुपए डिमांड निकाल दी। जॉइंट कमिश्नर जय सिंह से शिकायत की तो उन्होंने उल्टा व्यापारी और उसके क्लाईंट के खाले सीज करा दिए थे।

व्यापारी ने कमिश्नर अपील में मामला उठाया था। फैसला उसी के पक्ष में आया था। इसके बावजूद आयकर अधिकारियों ने कारोबारी के खाले नहीं खुलने दिए थे। लगातार चीफ कमिश्नर से मिलने का दबाव बनाया गया था। व्यापारी जोधपुर में तत्कालीन आयकर अधिकारी और चीफ कमिश्नर से मिला था। उससे 25

लाख रुपए घूस मांगी थी, जिसमें 23 लाख रुपए देना तय हुआ। अधिकारियों ने पैसा बिचौलिए ज्वेलर के यहां पहुंचाने को कहा था। इसके बाद व्यापारी ने मामला सीबीआई तक पहुंचाया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने बारीकी से की थी, जिसमें यह साबित हुआ कि दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ज्वेलर्स से अवैध राशि ली। अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें चार-चार साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामले में बिचौलिए ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा को दोषमुक्त कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पीके शर्मा और शैलेंद्र भंडारी ने भ्रष्टाचार के जघन्य कृत्य किए, जो सार्वजनिक विश्वास के लिए गंभीर चोट है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर सख्ती आवश्यक है।

पिकअप-ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में बालिका की मौत, 2 1 जने घायल

कोटा, (निसं)।सिमलिया थाना इलाके केनेशनल हाइवेनंबर-27 पर पिकअप चालक ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी ट्रॉली पलटा खा गई, जिसके नीचे दबने से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार बालिका की मौत हो गई एवं 21 जने घायल हो गये।

जानकारी के अनुसार माली समाज के लोग कोटा के चारगांव, डाबर बमोरी व अन्य गांव से देवताओं की रसोई लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से झालावाड़ के मऊ महाराज जा रहे थे, तभी सीमलिया थाना इलाके में चींसा के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में घायलों

को कोटा के एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां घायल बालिका ने दम तोड़ दिया। सीमलिया थानाधिकारी सुरेश मासी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 से 40 व्यक्ति बैठे थे, यह नेशनल हाइवे-27 पर गढ़ेपान से बारां रोड की तरफ जा रही थी। पीछे से आई पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। जिससे ट्रॉली पलट गई और सवारियां दब गई। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों ने सवारियां निकाली और एंबुलेंस से कोटा के एमबीएस अस्पताल भेजा। थानाधिकारी ने बताया

कि हादसे में डाबर बमोरी निवासी 11 वर्षीय रश्मि पुत्री शुभकरण माली की मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद पिकअप को डिटेन कर लिया है। मौके से पिकअप चालक फरार हो गया। मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश जारी है। हादसे में पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार घायलों में कन्हैया लाल, बाबूलाल, सुगना बाई, मनभर, शिवनंदन, बन्नी लाल, कुंज बिहारी, चेतन, विशाल, विहान, दिव्यांशी, विमला बाई, सीता, निशा, लक्ष्मी, विमला, राजेश व मिन्धी है।

दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लगी, एक चालक जिंदा जला

बीकानेर, (निसं)। यहां भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दो ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई। इसमें एक ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। हादसा लूणकरणसर के कालू थान क्षेत्र का है। हादसे में ड्राइवर केबिन में फंस गया था, जिसकी वजह से वह जिंदा जल गया। कालू थानाधिकारी धर्मवीर ने

बताया कि भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मनाड कोलायतत निवासी पैमाराम साइड में ट्रक लेकर खड़ा था। इस दौरान पीछे से आया खियेरा निवासी ओमप्रकाश स्पीड में आया और पैमाराम के ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लग गई। थाना अधिकारी ने बताया कि एकसीडेंट के बाद

ओमप्रकाश केबिन में फंस गया। इस दौरान उसने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से ओमप्रकाश का शव बाहर निकाला। वहीं पैमाराम को लूणकरणसर हॉस्पिटल लाया गया।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. MANGROL	
File No. 950	Date: 18.09.2025
Notice Inviting Bid	
Bid for "BA-17/00/214.01/2025-26 Per Constituency Rs. 10.00, 15.00 Cr. NP/ML Road Work" NIT No. 11/2025-26 are invited from interested bidders up to 6.00 PM on 06.10.2025. Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.raajasthan.gov.in , http://sppp.raj.nic.in) of the state departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 289.41 lacs.	
UBN NO. 1. PWD2526WSOB12647, 2. PWD2526WSOB12648, 3. PWD2526WSOB12651, 4. PWD2526WSOB12652, 5. PWD2526WSOB12654, 6. PWD2526WSOB12655, 7. PWD2526WSOB12658	
(Laxmi Narayan Meena) Executive Engineer PWD Division Mangrol	
DIPR/C/14076/2025	

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत	
क्रमांक-1820-37	दिनांक-23.09.2025
Notice Inviting Bid: 37-38/2025-26	
Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 06.10.2025 at 14.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.raajasthan.gov.in & (http://eproc.raajasthan.gov.in) of the State. The approximate value of the procurement of Rs. 133.16 Lacs and maximum value of single work in this procurement is 78.53 Lac.	
NIT NO.	37
UBN NO.	PHE2526WSOB06931
	PHE2526WSOB06932
	<i>अल सीमित है, इसकी वकत करें।</i>
	(धर्मन कुमार) अधिशाषी अभियंता जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत
DIPR/C/14006/2025	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड निवाई	
क्रमांक-3070-79	दिनांक-23.09.2025
निविदा सूचना संख्या-23/2025-26 खण्ड निवाई	
राजस्थान के राजधानी महोदय की ओर से खण्ड निवाई में सड़क/मन निर्माण हेतु उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के आयोग/संस्थानों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/झाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए", एवं "एच" श्रेणी, "सी", "डी" श्रेणी के संवेदकों के समन्वय से, से कराये हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रपत्र में भाग की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.diprolne.org व www.eproc.raajasthan.gov.in पर www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।	
NIB CODE: PWD2526A3340, 1. PWD2526WSOB12466, 2. PWD2526WSOB12469, 3. PWD2526WSOB12473, 4. PWD2526WSOB12476, 5. PWD2526WSOB12477, 6. PWD2526WSOB12478	
DIPR/C/13997/2025	

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर	
Near Collector Office, Bikaner (Rajasthan) Fax:- 91-151-2226012, Phone:-91-151-2226012, 91-151-2226013 E-Mail Address:- utbikaner@yahoo.co.in Web Site :- urban.raajasthan.gov.in/utbikaner	
क्रमांक- बीकाने/बीका/अ.संवि/2025-26/6217	दिनांक- 24/09/2025
ई- बिड सूचना संख्या 34-Y-II-III/2025-26	
बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर की ओर से अधिलत भारतीय स्तर, न्यास एवं राजकीय विभागों में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से शिथिल कार्यों हेतु मुहुरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने प्राप्त करने व खोलने की दिनांक एवं निविदा शर्तों आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.eproc.raajasthan.gov.in & www.urban.raajasthan.gov.in/utbikaner पर देखा जा सकता है।	
(UBN No. :- ITB2526WSOB00220- 27)	
का.सं.सं.ए/सी/25/10902	अधिराणी अभियन्ता

कार्यालय नगरपालिका टोडाभीम जिला-करीली (राज.)	
क्रमांक/ नपाटी / 2025-26 / 1262	दिनांक-20.09.2025
निविदा सूचना	
पासिका टोडाभीम में कार्य की निविदा NIB CODE- DLB2526A6260 यूबीएन नं. DLB2526WSOB19331, DLB2526WSOB19332, DLB2526WSOB19333, DLB2526WSOB19334, DLB2526WSOB19336, DLB2526WSOB19337, DLB2526WSOB19338, DLB2526WSOB19339, DLB2526WSOB19340, DLB2526WSOB19342 आमंत्रित की गई है। उक्त निविदा सूचना एवं शर्त राजस्थान लोक उपागम पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.raajasthan.gov.in एवं www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।	
राज.सं.वा.द/सी/25/10864	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका टोडाभीम

बीकानेर, (निसं)। यहां एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने चाची को नाबालिग भतीजे से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने जिले के नाल थाना में नाबालिग के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच में महिला की कहानी झूठी निकली। वहीं, 25 सितंबर को नापासर थाना में नाबालिग के चां-बाप ने यौन-उत्पीड़न का केस

दर्ज करवाया। जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

नापासर थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि 24 वर्षीय शादीशुदा महिला नाबालिग का देह शोषण करती थी। कुछ समय बाद नाबालिग उसके पास जाने से इनकार करने लगा। इस बात से नाराज आरोपी ने उसे धमकाने-डराने के

लिए रेप केस कर दिया। जांच में महिला की कहानी झूठी निकली। वहीं, 25 सितंबर को नाबालिग के परिवार ने नाल थाने महिला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उन्होंने यौन उत्पीड़न के साथ नाबालिग के रेप-मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला और नाबालिग रिश्ते में चाची-भतीजा है।

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। लोहावट पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फलोदी पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि गत 18 सितंबर को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दूर के रिश्तेदारों ने उसे कोल्डर्ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर वायरल करने की धमकी दी गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित की। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अचलाराम और कालुराम को गिरफ्तार कर लिया।

हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शेरगढ़ पुलिस ने गत 19 सितंबर को आपसी कहासुनी के बाद पिता की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिता और पुत्र के बीच छोटी सी बात पर विवाद हुआ था। तैश में आकर श्रवण ने अपने पिता रूपाराम मेघवाल पर लाठी से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद वह घटना छुपाकर कमरे में बंद हो गया। अगले दिन बीस सितंबर को वह पत्नी की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा दिलाने जोधपुर गया और फिर ससुराल फलसूंड चला गया फिर 22 सितंबर को वापस शेरगढ़ लौटने पर पिता के बारे में पूछताछ होने पर वह बचराया और फलसूंड चला गया।

ट्रक वालों से ठगी मामले में नकली सेल्स ऑफिसर गिरफ्तार

आरोपी व्यक्ति पूर्व सरपंच रह चुका है, इस समय आरोपी की मां समपच है

- आगरा-जयपुर नेशनल हाइवे पर ट्रक वालों को शिकार बनाता था, आरोपी के खिलाफ एक ट्रक ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी**
- आरोपी का दो दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था जो वायरल हो रहा था, आरोपी को कुछ ट्रक वालों ने पकड़ लिया था**
- मामले को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आरोपी ने अभी तक कितने लोगों से ठगी की है**

ठगी कर रहा था तो, उसे कुछ ट्रक वालों ने पकड़ लिया। वीडियो में ट्रक वाले महावीर से पूछ रहे हैं वह किस तरह से है, जिस पर महावीर तरह-तरह के बान्ते नजर आ रहा है। बाद में महावीर का पते ही अपनी कार लेकर वहां से फरार हो जाता है। वीडियो पर तुरंत संज्ञान लेते ही पुलिस मामले की जांच में लगी। इसके साथ ही आज एक ट्रक ड्राइवर राहुल शर्मा ने आरोपी के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज

करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जिससे यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ने अभी तक कितने लोगों से ठगी की है और वह किस तरह से ठगी करता था। जांच में यह सामने आया है कि आरोपी गुरिया गांव से सरपंच रह चुका है। इस समय आरोपी महावीर की मां फूलवती सरपंच है।

1300 प्रिंसिपल का बिना आवेदन ट्रांसफर किया, देने होंगे भत्ते

- अगर किसी प्रिंसिपल का सरकार बिना आवेदन किए ट्रांसफर करती है तो एक लाख रुपए का खर्च आता है**

प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ है। यहां से बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को फिर से उनके गृह जिलों में भेज दिया गया है, जिससे सीमावर्ती जिलों में स्कूल फिर से खाली हो गए। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से तीन प्रिंसिपल का ट्रांसफर साढ़े छह सौ किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में किया गया है। कभी डाकें जंग में रहे बाड़मेर को भी इस ट्रांसफर लिस्ट से फायदा हुआ है। दरअसल, यहां से 102 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें 37 को बाड़मेर में ही लगाया गया, लेकिन 65

चले गए। वहीं अन्य जिलों से जैसलमेर में भी तबादले हुए। इससे ये संख्या बढ़कर 85 तक पहुंची, लेकिन 11 अन्य प्रिंसिपल से बाड़मेर प्रिंसिपल के रह गए। कमोबेश ऐसे ही हालात अन्य जिलों के भी है।

बांसवाड़ा को इस ट्रांसफर लिस्ट से फायदा हुआ है। यहां से 72 प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ लेकिन 79 की पोस्टिंग हुई। 92 में से 53 को तो बांसवाड़ा से बांसवाड़ा में ही इश्क-उधर किया गया था। वहीं अन्य जिलों से भी 39 प्रिंसिपल को बांसवाड़ा में लगाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से तीन प्रिंसिपल का ट्रांसफर साढ़े छह सौ किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में किया गया है। कभी डाकें जंग में रहे बाड़मेर को भी इस ट्रांसफर लिस्ट से फायदा हुआ है। दरअसल, यहां से 102 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें 37 को बाड़मेर में ही लगाया गया, लेकिन 65

भतीजे से यौन-उत्पीड़न के आरोप में चाची गिरफ्तार

नाबालिग बात नहीं मान रहा था तो रेप केस किया, पुलिस जांच में महिला की कहानी झूठी निकली

बीकानेर, (निसं)। यहां एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने चाची को नाबालिग भतीजे से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने जिले के नाल थाना में नाबालिग के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच में महिला की कहानी झूठी निकली। वहीं, 25 सितंबर को नापासर थाना में नाबालिग के चां-बाप ने यौन-उत्पीड़न का केस

दर्ज करवाया। जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

नापासर थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि 24 वर्षीय शादीशुदा महिला नाबालिग का देह शोषण करती थी। कुछ समय बाद नाबालिग उसके पास जाने से इनकार करने लगा। इस बात से नाराज आरोपी ने उसे धमकाने-डराने के

चोरी का ट्रैलर जल, दो जने गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्र सिंह भाटी के सुपरविजन में अरविन्द कुमार वृत्ताधिकारी पीपलू व बरोनी थानाधिकारी बृजेन्द्र सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना में दर्ज प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ व विशानदेही के बाद चोरी किये गये एक ट्रैलर को कोटा जिले की बोर्डर पर गरोट रोड दिल्ली मुम्बई हाईवे के नीचे से बरामद किया गया। इस दौरान गिरफ्तार किये गये दो आरोपी आशाराम पुत्र मिश्रीलाल गुर्जर व देवराज पुत्र श्रीराम गुर्जर दोनों निवासी जैबाडिया थाना बरोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

कोठारी बांध में महिला की लाश मिली

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के नंदराय क्षेत्र में कोठारी नदी पर बने कोठारी बांध में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, बाद में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोटड़ी व विगोद थाना पुलिस मुख्य पर पहुंची। बताया जा रहा है कि महिला का शव करीब 5 से 6 दिन पुराना हो सकता है।

मौके पर पहुंची शव को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। साहयक उप निरीक्षक कैलाश प्रजापत ने बताया कि महिला के शव को बांध के पानी से बाहर निकाल कर शिनाख्त का प्रयास किया जाएगा। लाश मिलने की खबर क्षेत्र में फैलने से आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ बांध पर जमा हो गई।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर, जिला – पाली	
क्रमांक : न.पा.सु./विकास/ ई-निविदा / 2025-26 / 5953	दिनांक 23.09.2025
:- ई-निविदा 11/2025-26 सूचना :-	
नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर की ओर से मान्यता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा द्वारा 01 विकास कार्यों की कुल लागत 15.00 लाख रूपये की निविदा आमंत्रित की जाती है। अधिक अथवा पूर्णतः निविदा स्वीकार / अस्वीकृत करने का अधिकार ई-निविदा स्वीकृत अधिकारी को होगा। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्तों कार्यालय में एवं विभाग की वेब साईट www.sppp.raajasthan.gov.in एवं www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी व पढ़ी जा सकती है।	
जिनके UBN No. निम्नालिखित है:-	
1. DLB2526WSOB19444	
Bid Selling Last Date	06-10-2025/10.00am
राज.सं.वा.द/सी/25/10971	प्रशासक नगरपालिका, सुमेरपुर
	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, सुमेरपुर

कार्यालय नगर पालिका सूरौठ जिला करौली (राज.)

क्रमांक:- 186	दिनांक:- 18.09.2025
ई-निविदा सूचना	
नगरपालिका सूरौठ में निर्माण कार्य /विकास कार्य के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगमों/ नगर विकास समितियों, जयपुर प्रािकार प्राधिकरण, आवासन मण्डल व केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग /झाक एवं दूर संचार विभाग /रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ए.ए.ए.श्री. श्रेणियों के संवेदकों/ फर्मों के समक्ष हो,से कार्या हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदा प्राप्त की जायेगी। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट http://eproc.raajasthan.gov.in www.sppp.raj.gov.in पर देखी जा सकती है।	
UBN NO. DLB2526WSOB19328	
राज.सं.वा.द/सी/25/10853	अध्यक्ष नगर पालिका सूरौठ
	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरौठ

नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़ (राजस्थान)	
क्रमांक-निर्माण शाखा /निविदा / 2025 / 2627-29	दिनांक : 23.09.2025
निविदा सूचना	
नगर पालिका रतनगढ़ की ओर से नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजिकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 24.09.2025 से दिनांक 06.10.2025 शाम 6 बजे तक अनुसार डाऊनलोड तथा अपलोड एवं दिनांक 07.10.2025 को सांय 5 बजे खोली जायेगी।। समस्त कार्यो के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर नगर पालिका रतनगढ़ में पंजिकृत सखम संवेदको द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभागो में पंजिकृत सखम संवेदको द्वारा 2 प्रतिशत राशि का डी.डी. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रतनगढ़ के नाम व रूपये 500/- का बालान "M.D. RISL Jaipur" के नाम जयपुर में देय से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व नगर पालिका रतनगढ़ में प्रस्तुत करना होगा।	
निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.sppp.raj.nic.in http://eproc.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।	
NIB code- DLB2526A6325	
UBN:-DLB2526WSOB19476, DLB2526WSOB19479, DLB2526WSOB19483	
राज.सं.वा.द/सी/25/10927	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रतनगढ़

www.sppp.raj.nic.in

<http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

NIB code-DLB2526A6333

UBN:- DLB2526WSOB19492, DLB2526WSOB19493, DLB2526WSOB19494, DLB2526WSOB19495, DLB2526WSOB19496, DLB2526WSOB19498, DLB2526WSOB19499, DLB2526WSOB19500, DLB2526WSOB19502, DLB2526WSOB19503, DLB2526WSOB19504, DLB2526WSOB19505, DLB2526WSOB19506, DLB2526WSOB19507, DLB2526WSOB19508, DLB2526WSOB19509

राज.संवाद /री / 25 / 10929

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रतनगढ़



राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनव्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 (राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, गिरीश नगर, जयपुर- 302006, फोन- 0141-2227751,4593201
 ई-मेल-nico@rico.co.in वेबसाइट-nico.raajasthan.gov.in